न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक) डीग

प्र0सं0, 16/2017,(जी.सी.एम.एस. न. 2017/00065) पीठासीन अधिकारीः– डॉ रवि कुमार गोयल (R.A.S.)

उनवान

1. जवाहर सिंह
2. मौहर सिंह
3. दयाराम

पुत्रगण हुकमी जाति माली नि0 ग्राम जनूथर

–वादीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील डीग प्रतिनिधि राज0 सरकार

–प्रति0

दावा बावत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 05.09.2024

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 298/0.98 वाके ग्राम गुलैना तहसील डीग मे स्थित है। जोकि वादीगण खुदकाश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसे बन्दोवस्त विभागन ने गत खसरा नम्बर 301/2–2, 307/2–3, 308/2–0 वीघा वाके ग्राम गुलैना के बदले में बनाया गया है।जोकि वादीगण के बाबा नारायन पुत्र मूली की पटटे की आराजी थी जिनकी मृत्यु के बाद वादीगण का पिता हुकमी पुत्र नारायन काबिज रहा तथा हुकमी की मृत्यु के बाद वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण को विवादित आराजी पर पटटेदार दर्ज किया जा रहा है। लेकिन वादीगण ने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये है। वादीगण की बहिन दरवो के नाम भी पटटेदार दर्ज है। लेकिन उसने वादीगण के पक्ष में अपनी आराजी का हकत्याग गत दिनांक 25.07.2005को पंजीबद्व करा दिया है तथा वादीगण ही समसस्त आराजी पर काबिज है तथा वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार/पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जबाव/रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें अंकित किया गया है कि वादीगण का कब्जा काश्त स्वीकार नहीं है तथा भूमि कस्टोडियन या गैर कस्टोडियन का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

जवाब व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांकित तनकी कायम की गईः–

1. आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 298/0.98 स्थित ग्राम गुलैना के अपने आपको पटटेदार के स्थान पर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. दादरसी?

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में स्वयं वादी दयाराम एवं गवाह प्रेमसिंह के बयान कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य मं नकल जमाबन्दी सम्बत 2069 से 2072 प्रदर्श–1,नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2,नकल गत जमाबन्दी सम्बत 2025 से 2028 प्रदर्श–3,नकल गत जमाबन्दी सम्बत 2009–2012 प्रदर्श–4, नकल रिलीजडीड दिनांक 25.07.2005,खसरा गिरदावरी सम्बत 2073 से 2076 प्रदर्श–5 पेश की गई।

तनकी संख्याः–1, इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है।वादीगण वर्तमान रिकार्ड में खसरा नम्बर 298/0.98 पर पटटेदार दर्ज है। जिससे वादीगण के साथ उनकी बहिन दरवो हिस्सा 1/4 की हिस्सेदार है। नवीन खसरा नम्बर 298/0.98को प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 301, 307, 308 से बना हुआ प्रदर्शित किया गया है। गत जमाबन्दी सम्बत 2009–2012 प्रदर्श–4 के क्रम संख्या 18 पर कॉलम नम्बर 5 पर वादीगण के बाबा नारायन पुत्र मूली के इन्द्राज दर्ज है। जिसमें अन्य काश्तकारों के भी अन्य द्वारा कीमत को शामिल करते खुदकाश्त के इन्द्राज है तथा गत जमाबन्दी सम्बत 2025 से 2028 प्रदर्श 3 मे गत खसरा नम्बर 301, 307, 308 रकबा 6 वीघा 5 विस्वा पर हुकमी पुत्र नारायन जाति माली पटटेदार साल 42 इन्द्राज दर्ज है जोकि वादीगण का पिता है। उक्त रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत है कि विवादित आराजी पूर्व से ही वादीगण के बाबा नारायन पुत्र मूली एवं पिता हुकमी पुत्र नारायन की पटटेदार की आराजी रही है तथा खसरा गिरदावरी सम्बत 2073–2076 प्रदर्श–5 में वादीगण की बोई जिन्स दर्ज है। जिससे वादीगण का लगातार कब्जा होना स्पष्ट है। लेकिन वादीगण व उनकी बहिन दरवो को पटटेदार दर्ज किया जा रहा है। वादीगण की आराजी पूर्वजों से प्राप्त आराजी है। वादीगण द्वारा हकत्याग पत्र दिनांक 25.07.2005 से प्रतीत है कि उनकी बहिन दरवो ने अपने हिस्सा 1/4 को वादीगण के पक्ष में हकत्याग कर दिया है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 01 को वादीगण के पक्ष मे तय किया जाता है।

तनकी संख्याः–2, दादरसी तनकी संख्या 1 की विवेचना से वादीगण विवादित आराजी पर पटटेदार के स्थान खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य व कानूनी नजीरों तथा तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट्स से सावित होना प्रतीत है। ऐसी स्थिति में हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टि0 एक्ट, को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डी.), राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि :—

ादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर **स्वीकार** किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 98/0.98 वाके ग्राम गुलैना तहसील जनूथर में सम्पूर्ण हिस्से के पटटेदार के स्थान पर वादीगण ो वाहिस्सा बरावर खातेदार घोषित किये जाते है। तहसीलदार डीग राजस्व रिकार्ड में अमल रामद की कार्यवाही से पूर्व राजस्व रिकार्ड इत्यादि की सम्पूर्ण जॉच करलें तथा यह सुनिश्चित रलें कि वादीगण पर कोई नियमानुसार राजकीय शुल्क तो बकाया नहीं है,अगर राजकीय शुल्क काया हो तो सम्बन्धित वादीगण से नियमानुसार शुल्क/राशि जमा राजकोष कराई जाकर ही र्णित आराजी का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित रावें।तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
सहायक कलक्टर(फास्ट—ट्रेक)
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

नेर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
सहायक कलक्टर(फास्ट—ट्रेक)
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

धिकारी ★ जिला डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner